65

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प रीवा म0प्र0,

R 5245-II/16

Rs. 30/—

1. वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद,
2. प्रेमनाथ चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद,
3. धीरेन्द्र चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद,
4. राबेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद,
5. अन्जनी प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद,
6. अनिल प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुईया प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम सूरा तहसील सिरमौर हाल मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

.................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. वैद्यनाथ चतुर्वेदी तनय स्व0 बाला प्रसाद
2. संतोष कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 बाला प्रसाद,

दोनों निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

3. रामायण प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0 रोहणी प्रसाद,
4. वैदेही शरण चतुर्वेदी तनय स्व0 रोहणी प्रसाद,
5. शोभदत्त चतुर्वेदी तनय स्व0 रोहणी प्रसाद,

क्रमांक–3 ता 5 निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

6. श्रीमती विधवा पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद
7. दीपू चतुर्वेदी तनय स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद,
8. गुड्डा चतुर्वेदी तनय स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद,

क्रमांक–6 ता 8 निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

9. काशी प्रसाद तनय हरिहर प्रसाद (मृत) वारिसान–

9क– श्रीमती धर्मवती पत्नी स्व0 काशी प्रसाद,

9ख– विश्वनाथ प्रसाद तनय स्व0 काशी प्रसाद,

9ग- गिरीश कुमार तनय स्व0 काशी प्रसाद,

9घ- मुनिप्रसाद तनय स्व0 काशी प्रसाद,

9क ता 9घ सभी निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

9च- श्रीमती बेलाकली पुत्री स्व0 काशी प्रसाद पत्नी अनुसुइया प्रसाद निवासी बरसइता तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0,

9छ- श्रीमती गुलाबकली पुत्री स्व0 काशी प्रसाद पत्नी श्रीधर पाण्डेय निवासी ग्राम सरइहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0,

9ज- श्रीमती गीता पुत्री स्व0 काशी प्रसाद पत्नी राजकिशोर मिश्रा निवासी ग्राम नौढ़िया तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0,

9झ- श्रीमती ममता पुत्री स्व0 काशी प्रसाद पत्नी राघवेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम ब्रम्हनी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0,

10. रामबहादुर चतुर्वेदी तनय स्व0 ईश्वरदीन चतुर्वेदी (मृत) वारिसान-

10क- श्रीमती बतसिया पत्नी स्व0 रामबहादुर चतुर्वेदी,

10ख- प्रेमप्रकाश तनय स्व0 रामबहादुर चतुर्वेदी,

10ग- ओमप्रकाश तनय स्व0 रामबहादुर चतुर्वेदी,

10घ- सत्यप्रकाश तनय स्व0 रामबहादुर चतुर्वेदी,

10च- जयप्रकाश तनय स्व0 रामबाहदुर चतुर्वेदी,

सभी निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

11. राजबिहारी चतुर्वेदी तनय स्व0 शोभनाथ चतुर्वेदी (मृत) वारसान-

11क- श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व0 राजबिहारी चतुर्वेदी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी ग्राम कुइया पोस्ट मटीमा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0,

12. रामशरण तनय स्व0 कुन्जबिहारी

13. श्रीमती रामप्यारी पत्नी कुन्जबिहारी चतुर्वेदी

दोनों निवासी ग्राम सूरा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0,

14. भुवनेश्वर प्रसाद तनय हनुमान प्रसाद (मृत) वारिसान-

14क- भैयालाल तनय स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद पयासी,

14ख- रामायण प्रसाद तनय स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद पयासी

14ग- राजेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद पयासी

14घ– ओमप्रकाश तनय स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद

सभी निवासी ग्राम धौरहरा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0,

15. महावीर प्रसाद तनय हनुमान प्रसाद (मृत) वारिसान–

15क– गंगा प्रसाद तनय स्व0 महावीर प्रसाद,

15ख– अम्बिका प्रसाद तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15ग– सरयू प्रसाद तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15घ– सुरेश प्रसाद तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15च– रामविश्वास तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15छ– सत्यदेव तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15ज– रामखेलावन तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

15झ– राघवेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

सभी निवासी ग्राम धौरहरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

16. बृजभान प्रसाद तनय रघुवीर प्रसाद निवासी ग्राम धौरहरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

17. प्रेमप्रकाश तनय स्व0 रामबहादुर निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

....................**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आज्ञा श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0, के प्रकरण कमांक–15/अ–27/2011–12 आदेश दिनांक–07.05.2016,

....

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0

....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5245–दो/2016 निगरानी — जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/07/2018	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त सूरा तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 15 अ 27/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच तहसील न्यायालय में सामिलाती भूमियों के बटवारे का प्र.क्र. 15 अ 27/2011–12 पॅजीबद्व हुआ। अनावेदक काशीप्रसाद, रामबहादुर, राजविहारी, भुवनेश्वर प्रसाद, महावीर की मृत्यु हो गई। मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन आने पर तहसीलदार मनागवां ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 पारित किया तथा मृतक पक्षकारों के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अन्य अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 4/ आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि मृतक पक्षकारों के पुत्रों को तो रिकार्ड पर लेने का आवेदन दिया गया है किन्तु उनकी पुत्रियों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है जिसके कारण पक्षकारों के असंयोजन का दोष है और इसी आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार की बटवारा कार्यवाही को निरस्त किया जाये। 5/ नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 का	

अवलोकन करने पर आदेश में इस प्रकार अंकन है –

प्रकरण प्रस्तुत। उभय पक्ष अभिभाषक उप0। आवेदक अभि0 व्दारा आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक व्दारा पूर्व से ही आवेदक व्दारा मृत पक्षकार के वारिसों को रिकार्ड में लाने हेतु आवेदन दिया है। इस प्रकार कोई विवाद नहीं है। आवेदक लालस्याही से सॅशोधन करे। तलवाना पटाये जाने पर पक्षकारों को सूचना जारी हो।

तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 स्पष्ट है। यदि मृतक के विधिक वारिसान को समय पर रिकार्ड पर नहीं लाया गया, तहसीलदार के समक्ष तदाशय की आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवेदक स्वतंत्र रहे हैं किन्तु समय रहते तदाशय की आपत्ति नहीं की है। बटवारा प्रकरण में लगभग 17 पक्षकार है जिसके कारण संपूर्ण प्रकरण अवेट भी नहीं माना जा सकता। जहां तक मृतक पक्षकारों की पुत्रियों को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रश्न है ? तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 के आगे की तिथि 7–6–16 इस प्रकार है :–

प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक सहित अभि0उप0। अना0क0 1 एंव 12 की ओर से अभि0 उप0। अना. की ओर से एक आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र.भू रा.संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दि. 7–5–16 को आवेदक व्दारा मृतक अना. क. 7, 14, 15, 18 एंव 19 के विधिक वारिसान पुत्रों को बनाया गया है जबकि मृतक अना.गणों की पुत्रियों वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे उन्हें भी पक्षकार प्रकरण में संयोजित करवाया जाय। प्रति आवेदक अभि.को दी गई। प्रकरण वास्ते आवेदन पत्र के जवाव एंव वारिसान बनाये जाने हेतु । आवेदन पत्र दिये जाने वावत् ।

आगे की तिथि 21–6–17 नियत की गई। नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार व्दारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये कार्यवाही की जा रही है किन्तु आवेदकगण की ओर से जानबूझकर तहसीलदार के समक्ष पक्ष न रखते हुये यह निगरानी की

गई है ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण निगरानी करके बटवारा प्रकरण को लम्बित बनाये रखना चाहते है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार वृत्त सूरा तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 15 अ 27/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है। पक्षकारों के बीच नायव तहसीलदार के समक्ष यह बटवारा प्रकरण वर्ष 2000 से अर्थात लगभग 17 वर्ष से प्रचलित है और 17 वर्ष तक पक्षकारों की सामिलाती भूमि का बटवारा न होना न्याय की श्रेणी में नहीं है। अतः म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नायव तहसीलदार मनगवां को निर्देश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारों की सुनवाई कर बटवारा प्रकरण का अंतिम निराकरण 03 माह के भीतर कर देवें।

सदस्य